निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 232) पटना, बुधवार, 31 मार्च 2021

विधि विभाग

अधिसूचना

31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–06/2021–2166/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[fcgkj vf/kfu;e 07] 2021]

fcgkj iapk;r jkt ¼la'kk/ku½ vf/kfu;e] 2021

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत–गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **laf{kIr uke] foLrkj vkSj izkjEHkA&**
   (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहां बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम सं0 11, 2007) या कन्टोन्मेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम II, 1924) के उपबंध लागू हैं।
   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **fcgkj iapk;r jkt vf/kfu;e] 2006 dh /kkjk 11 dk la'kk/kuA &**
   (1) उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) के प्रथम परन्तुक के बाद निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :–

   ''परन्तु यह भी कि सरकार अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से सात हजार से कम जनसंख्या के आधार पर भी ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन/पुनर्गठन करने हेतु जिला दंडाधिकारी को आवश्यक निदेश दे सकेगी।''

3. **fcgkj iapk;r jkt vf/kfu;e] 2006 dh /kkjk 13 dk la'kk/kuA &** उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (1) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :–

   ''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी ग्राम पंचायत का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''

4. **fcgkj iapk;r jkt vf/kfu;e] 2006 dh /kkjk 15 dk la'kk/kuA &** उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (5) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :–

   ''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी ग्राम पंचायत का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया पद की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''

5. **fcgkj iapk;r jkt vf/kfu;e] 2006 dh /kkjk 38 dk la'kk/kuA &** उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप–धारा (1) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :–

   ''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी पंचायत समिति का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''

6. **fcgkj iapk;r jkt vf/kfu;e] 2006 dh /kkjk 40 dk la'kk/kuA &** उक्त अधिनियम की धारा 40 की उप–धारा (2) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :–

   ''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी पंचायत समिति का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/ पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित पंचायत समिति के प्रमुख पद की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''

7. **fcgkj iapk;r jkt vf/kfu;e] 2006 dh /kkjk 65 dk la'kk/kuA &** उक्त अधिनियम की धारा 65 की उप–धारा (1) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :–

   ''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी जिला परिषद का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/ पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''

8. **fcgkj iapk;r jkt vf/kfu;e] 2006 dh /kkjk 67 dk la'kk/kuA&** उक्त अधिनियम की धारा 67 की उप–धारा (2) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :–

   ''परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी जिला परिषद का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/ पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित जिला परिषद् के अध्यक्ष पद की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।''

9. **fcgkj iapk;r jkt vf/kfu;e] 2006 dh /kkjk 91 dk la'kks/kuA &** उक्त अधिनियम की धारा 91 की उप–धारा (1) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :–

"परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी ग्राम पंचायत का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित ग्राम कचहरी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।"

10. **fcgkj iapk;r jkt vf/kfu;e] 2006 dh /kkjk 93 dk la'kks/kuA &** उक्त अधिनियम की धारा 93 की उप–धारा (5) की तृतीय कंडिका के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा :–

"परन्तु अगर दो क्रमिक आम निर्वाचन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सरकार के आदेश के अधीन किसी ग्राम पंचायत का गठन अथवा पुनर्गठन किया जाता है, तो इस गठन/पुनर्गठन के फलस्वरूप संबंधित ग्राम कचहरी के सरपंच पद की आरक्षण स्थिति दो क्रमिक आम निर्वाचन पूरा होने तक अप्रभावित रहेगी।"

पी०सी० चौधरी,
ljdkj ds lfpoA

---

31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–06/2021**&2167@yat**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमत **fcgkj iapk;r jkt ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2021 ¼fcgkj vf/kfu;e 07] 2021½** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 07, 2021]

The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2021

AN

ACT

To amend the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy Second year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title, extent and commencement.—***
   (1) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2021
   (2) It shall extend to whole of the State of Bihar excepting the areas to which the provisions of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act No. 11 of 2007) or Cantonment Act, 1924, (Act II of 1924) apply.
   (3) It shall come into force from the date of Publication in official Gazette.
2. ***Amendment of Section 11 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006.—***
   (i) The following proviso shall be added after first proviso of sub-section (1) of section 11 of the said Act :-

   "Provided also that the Government may issue necessary direction to the District Magistrate on ground of reasons to be recorded in writing to constitute/ reconstitute a Gram Panchayat area even with lesser population of seven thousand."
3. ***Amendment of Section 13 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006.-***
   (i) The following proviso shall be added after the third para of sub-section (1) of section 13 of the said Act :-

   "Provided that if a Gram Panchayat is constituted or reconstituted under order of the Government before expiry of the period of two successive general elections, the reservation status of the territorial electoral constituencies of the

concerned Gram Panchayat shall remain unaffected till completion of the two successive general elections"

4. ***Amendment of Section 15 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006.-***

(i) The following proviso shall be added after the third para of sub-section (5) of section 15 of the said Act :-

"Provided that if a Gram Panchayat is constituted or reconstituted under order of the Government before expiry of the period of two successive general elections, the reservation status for the post of Mukhiya of the concerned Gram Panchayat shall remain unaffected till completion of the two successive general elections"

5. ***Amendment of Section 38 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006.- (i) The following proviso shall be added after the third para of sub-section (1) of section 38 of the said Act :-***

"Provided that if a Panchayat Samiti is constituted or reconstituted under order of the Government before expiry of the period of two successive general elections, the reservation status of the territorial electoral constituencies of the concerned Panchayat Samiti shall remain unaffected till completion of the two successive general elections"

6. ***Amendment of Section 40 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006.-***

(i) The following proviso shall be added after the third para of sub-section (2) of section 40 of the said Act :-

"Provided that if a Panchayat Samiti is constituted or reconstituted under order of the Government before expiry of the period of two successive general elections, the reservation status of the post of Pramukh of the concerned Panchayat Samiti shall remain unaffected till completion of the two successive general elections"

7. ***Amendment of Section 65 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006.-***

(i) The following proviso shall be added after the third para of sub-section (1) of section 65 of the said Act :-

"Provided that if a Zila Parishad is constituted or reconstituted under order of the Government before expiry of the period of two successive general elections, the reservation status of the territorial electoral constituencies of the concerned Zila Parishad shall remain unaffected till completion of the two successive general elections"

8. ***Amendment of Section 67 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006.-***

(i) The following proviso shall be added after the third para of sub-section (2) of section 67 of the said Act :-

"Provided that if a Zila Parishad is constituted or reconstituted under order of the Government before expiry of the period of two successive general elections, the reservation status of the post of Adhyaksha of the concerned Zila Parishad shall remain unaffected till completion of the two successive general elections"

9. ***Amendment of Section 91 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006.-***

(i) The following proviso shall be added after the third para of sub-section (1) of section 91 of the said Act :-

"Provided that if a Gram Panchayat is constituted or reconstituted under order of the Government before expiry of the period of two successive general elections, the reservation status of the territorial electoral constituencies of the concerned Gram Katchahry shall remain unaffected till completion of the two successive general elections"

10. ***Amendment of Section 93 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006.-***

(i) The following proviso shall be added after the third para of sub-section (5) of section 93 of the said Act :-

"Provided that if a Gram Panchayat is constituted or reconstituted under order of the Government before expiry of the period of two successive general

elections, the reservation status of the post of Sarpanch of the concerned Gram Katchahry shall remain unaffected till completion of the two successive general elections"

P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 232-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in